

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: मई 13, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संबंधित कर अधिनियम-2008 की धारा-28 के अन्तर्गत 50 लाख वार्षिक टर्नओवर से कम के व्यापारियों का कर निर्धारण कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा कर निर्धारण हेतु चयन के पश्चात किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 के डीलर्स की टर्न ओवर मार्किंग करते हुए रु0 50 लाख से कम एवं 50 लाख से अधिक की मार्किंग की जानी थी। मुख्यालय स्तर पर जोन वार समीक्षा में वर्ष 2013-2014 की टर्न आवेर मार्किंग की स्थिति निम्नवत पायी गयी :-


Marking Assessment Report (Zone Wise) for Assessment Year 2013-2014

S. No.	Zone	Marking Dealers				Deemed Status	
		Total Dealers	Less than or equal to 50 Lacks	Greater than 50 Lacks	Unmarked	Ousted from Deemed	Deemed
1	Agra	25827	18679	5587	2783	7259	16902
2	Aligarh	34646	10520	2567	21732	10039	14081
3	Allahabad	33361	26486	3214	6436	4540	6594
4	Bareilly	31137	18857	3604	9042	7889	5109
5	Etawah	32831	6656	2225	24121	6740	9455
6	Faizabad	46067	24991	6333	15293	17600	7802
7	Gautambudha Nagar	23180	4451	3674	15124	16662	884
8	Ghaziabad I	24501	11989	6200	7024	16815	3924
9	Ghaziabad II	19785	8767	5015	6128	8356	3333
10	Gorakhpur	47756	28369	5238	14818	11780	13053
11	Head Office	7	0	0	7	0	0
12	Jhansi	31589	8862	1785	21014	4708	6846
13	Kanpur I	21667	13752	5212	2890	8339	3119
14	Kanpur II	25014	15424	6230	3457	7165	2283
15	Lucknow I	33512	24605	7035	3866	14922	7204
16	Lucknow II	32705	23383	4614	5852	14744	7007
17	Meerut	23610	12321	4109	7366	5726	6882
18	Moradabad	40571	19756	3888	17732	12971	13825
19	Saharanpur	28820	14225	3281	11593	8764	10949
20	Varanasi I	29117	17592	2623	10246	7228	14428
21	Varanasi II	49260	19269	4212	26640	16415	11425
Total		634963	328954	86646	233164	208662	165105

क्रमश 2 पर

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अभी तक वर्ष 2013-2014 के 233164 व्यापारियों की टर्न ओवर मार्किंग नहीं की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है वर्ष 2013-2014 की टर्न ओवर मार्किंग का कार्य बिलम्बतम दिनांक 25-05-2016 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये। जिन जोन/ संभाग में यह कार्य दिनांक 25-05-2016 तक पूर्ण नहीं किया जायेगा उन जोन के एडीशनल कमिश्नर / संभाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह मार्किंग ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट) तथा खंड/ मंडल के डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी तीनों स्तर के अधिकारियों द्वारा की जानी है। मार्किंग न होने के कारण यदि किसी व्यापारी का चयन कर निर्धारण हेतु नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी एवं मार्किंग की तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी एवं जिस स्तर के अधिकारी द्वारा मार्किंग नहीं की जायेगी उसका उत्तरदायी निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।



(मुकेश कुमार मेश्राम)

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।